UPBJ120025602026

<u>न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, चांदपुर, बिजनौर</u>
सरकार बनाम अंकित उर्फ आशू
जमानत प्रार्थना पत्र सं०– 557/2026
मु.अ.सं.– 91/2014
धारा– 420,467,468,414 आई०पी०सी०
थाना– नूरपुर, जनपद– बिजनौर
<u>06.08.2026</u>

प्रार्थी **अंकित उर्फ आशु पत्र राजेश कुमार** की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र मु.अ.सं. **91/2014**, अन्तर्गत धारा **420,467,468,414 आई०पी०सी०** थाना नूरपुर जिला बिजनौर में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी अभियुक्त मुकदमा है। प्रार्थी दिनांक 04.08.2026 से मुकदमा उपरोक्त में जिला कारागार में निरुद्ध है। प्रार्थी मुकदमा उपरोक्त में पहले से जमानत पर था। प्रार्थी ने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी पर झूठा आरोप लगाया गया है। प्रार्थी निर्दोष है। प्रार्थी उचित जमानत देने को तैयार है। अतः प्रार्थी को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई है।

अभियुक्त जिला कारागार में निरुद्ध है।

सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।

न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 03.09.2021 को एन०बी०डब्लू० जारी किए गए थे। जिसके परिपेक्ष्य में अभियुक्त को दिनांक 04.08.2026 को धारा 309 सी.आर.पी.सी. का वारंट बनाकर जिला कारागार भेजा गया था, तभी से अभियुक्त जिला कारागार में निरुद्ध है। उपरोक्त मामले में अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्त को पूर्व में जमानत प्रदान की जा चुकी है। मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में बिना गुण–दोष पर राय व्यक्त किंए जमानत का आधार पयाप्त है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त **अंकित उर्फ आशु पत्र राजेश कुमार** मु०अ०सं० **91/2014** अन्तर्गत धारा **420,467,468,414 आई०पी०सी०**, थाना– **नूरपुर** जिला बिजनौर द्वारा 25,000/– रूपये की एक प्रतिभू व इसी धनराशि का बन्धपत्र दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

अरूण कुमार राणा
न्यायिक मजिस्ट्रेट, चांदपुर
बिजनौर
J.O.CODE–UP3660

Digitally signed by ARUN KUMAR RANA
Date: 2026.08.06 16:12:25 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court